उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग-2
संख्या-24/2023/559/53-2-2023-2(44)/15
लखनऊः दिनांकः 06 जुलाई, 2023

संशोधन/शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2023-24 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में (अनुदान संख्या-16, जिला योजना-सामान्य) दुग्ध विकास अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-23/2023/478/001-53-2002-50-2019, दिनांक 07 जून, 2023 द्वारा रूपये 7735000.00 (रूपये सतहत्तर लाख पैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। उक्त शासनादेश के प्रथम प्रस्तर में अंकित ''प्रदेश के 75 जनपदों के लिए दुधारू पशुओं हेतु 30 प्रतिशत दवा(डिवर्मर, थनैला व टिक कन्ट्रोल), 20 प्रतिशत पशु आहार एवं 50 प्रतिशत की धनराशि मिनरल मिक्चर के लिए व्यय किये जाने हेतु'' के स्थान पर ''**प्रदेश के 75 जनपदों के लिए दुधारू पशुओं हेतु 30 प्रतिशत दवा (डिवर्मर, थनैला व टिक कन्ट्रोल), 20 प्रतिशत मिनरल मिक्चर तथा 50 प्रतिशत की धनराशि पशु आहार हेतु व्यय किये जाने हेतु**'' पढ़ा जाये।

2. प्रश्नगत शासनादेश संख्या-23/2023/478/001-53-2002-50-2019, दिनांक 07 जून, 2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शासनादेश की अन्य शर्तें, नियम एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-24/2023/559(1)/53-2-2023-2(44)/15, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज ।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
4-दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
7- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
8- सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, द्वारा दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0।
9- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
11- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
12- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
13- सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
14- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
15- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in